

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र.एफ 3-87/2014/38-1.

3/2014

आयुक्त,

उच्च शिक्षा संचालनालय,

इन्द्रावती भवन,

मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 2/08/2014

वर्ष 2014-15 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु।

आपका जावक क्रमांक 721/आ.उ.शि., दिनांक 19.06.2014

00

राज्य शासन एतद् द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2014 तथा एफ 3-123/13 दिनांक 30.07.2014 से द्वारा निम्न महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये हैं।
इससे इन महाविद्यालयों में निम्नानुसार नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है :-

महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय का नाम	छात्र संख्या
1. शासकीय महाविद्यालय वेशालीनगर, जिला- दुर्ग	एम.एस-सी, रसायन शास्त्र	15
	एम.ए.अंग्रेजी	30
	एम.ए.अर्थशास्त्र	30
12. शासकीय महाविद्यालय सारंगढ़	एम.कॉम. वाणिज्य	30
13. शासकीय पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय डोंगरगढ़	एम.ए.अंग्रेजी	30
	एम.एस-सी, प्राणीशास्त्र	15
14. शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव	एम.एस-सी, वनस्पति शास्त्र	15
	एम.एस-सी, गणित	15
15. शासकीय शहीद गेद सिंह महाविद्यालय चारामा	एम.कॉम. वाणिज्य	30
	एम.ए. राजनीति शास्त्र	30
16. शासकीय महाविद्यालय हसौद	एम.ए. हिन्दी	30
	एम.ए. अंग्रेजी	30
17. शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय केशकाल	एम.ए. भूगोल	30
18. महाप्रभु बल्लभनाथ शास. स्नातकोत्तर महावि. महासमुंद	एम.एस-सी, गणित	15
	एम.एस-सी, वनस्पतिशास्त्र	15
19. शास. लाहिड़ी महाविद्यालय चिरमिरी	एम.एस-सी, वनस्पतिशास्त्र	15
	एम.एस-सी, प्राणीशास्त्र	15
10. शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा	एम.ए. राजनीति विज्ञान	30
	एम.एस-सी, गणित	15
11. शास. खूबचंद बघेल स्नातकोत्तर महावि. भिलाई-3	एम.ए. अंग्रेजी	30

निरंतर

Kam
Principal

Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

Scanned by CamScanner

1/2/1

12.	शास. कन्या स्नातकोत्तर महावि. दुर्ग	एम.एस.-सी. वनस्पतिशास्त्र	15
		एम.एस.-सी. गणित	15
13.	शास. महाविद्यालय भयारा जिला-धमतरी	एम.ए. अर्थशास्त्र	30
14.	शास. महाविद्यालय धानखमहरिया	एम.ए. राजनीति विज्ञान	30
		एम.ए. भूगोल	30
15.	शास. मिनी माता महाविद्यालय कोरवा	एम.ए. समाजशास्त्र	30
16.	शास. महाविद्यालय किरन्दुल	एम.एस.-सी. प्राणीशास्त्र	15
17.	आचार्य पतंजलि गधमुनि नाम साहेब शास. पी.जी. महाविद्यालय लखरवा	एम.ए. समाजशास्त्र	30
		एम.ए. इतिहास	30
18.	शास. गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय, भाटापारा	एम.ए. अंग्रेजी	30
19.	संत गुरु घासीदास शास. स्नात. महा. कुरुद	एम.ए. अंग्रेजी	30
20.	शास. रामभजन राय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जरापुर	एम.एस.-सी. गणित	15
21.	शास्त्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दंतेवाड़ा	एम.एस.-सी. गणित	15
		एम.एस.-सी. भौतिक शास्त्र	15
		एम.एस.-सी. रसायन शास्त्र	15

उक्त महाविद्यालय में उक्त विषयों में दिनांक 30.08.2014 तक प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।

[Signature]
22/8/14

(अरुण कुमार चांदे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 22/08/2014

पृ. क्रमांक एफ 3-87/2014/38-1.

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर.
3. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.ग.ग.).
5. अवर सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर.
7. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय
8. संबंधित जिला कोषायलय अधिकारी, जिला-
9. आदेश फोल्डर।

[Signature]
Principal

Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

(अरुण कुमार चांदे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

[Signature]
22/8/14

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 3-53/2017/38-1
प्रति,

रायपुर, दिनांक 03/08/2017

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंदोपती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2017-18 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि बाबत।

संदर्भ :- आपकी टीप कमांक 361/आडशि/बजट/2014, दिनांक 24/06/2017

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2016-17 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :-

क्र.	महा. का नाम	कक्षा का नाम	सीट वृद्धि
1	2	3	4
1	शासकीय बद्रीप्रसाद कला एवं वाणिज्य स्नातको. महाविद्यालय आरंग, जिला- रायपुर	बी.ए.भाग-1	50
		बी.कॉम प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. (बायो ग्रुप प्रथम वर्ष)	25
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	0
		एम.ए. हिन्दी	10
		एम.ए. राजनीति विज्ञान	10
2	शासकीय नवीन महाविद्यालय फरसगाव जिला कोण्डागाव	बी.ए. प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	25

CI(L220)A

Principal

Scanned by CamScanner
Govt. Shaheed Gendsingh College Chara
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

7	शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला कोरबा	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. (बायो समूह) प्रथम वर्ष	10
8	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महाविद्यालय कसडोल, जिला बालौदाबाजार	बी.कॉम प्रथम वर्ष	50
9	शासकीय शहीद मैदरिह महाविद्यालय, जिला कांकर	बी.ए. प्रथम वर्ष	50
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
10	शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय बोडला, जिला- कबीरधाम	बी.ए. प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. (बायो समूह) प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष	15
11	शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला सूरजपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
12	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तुरी, जिला बिलासपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. (बायो समूह) प्रथम वर्ष	15
13	शासकीय नवीन महाविद्यालय सरोना, जिला- कांकर	बी.ए. प्रथम वर्ष	30
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	20
		बी.कॉम प्रथम वर्ष	30
14	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौधे महाविद्यालय गण्डई, जिला- राजनांदगांव	बी.एस.सी. (बायो समूह) प्रथम वर्ष	20
15	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला- दालौद	बी.ए. प्रथम वर्ष	30
		बी.कॉम प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	10
16	शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर, जिला- बिलासपुर	बी.ए. प्रथम वर्ष	40
		बी.कॉम प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. (बायो समूह) प्रथम वर्ष	10

Principal
Govt. Shaheed Gendsingh College Charam,
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

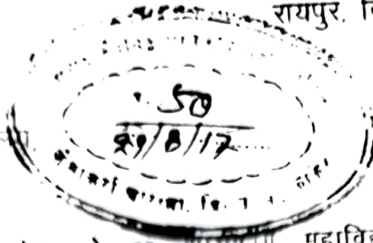
डी.आर.

उत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 3-55/2017/38-1
पति.

रायपुर, दिनांक 12/08/2017

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंदोवती भवन,
नया रायपुर।



विषय - वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन स्नातक
कक्षाएँ/विषयों को प्रारंभ करने बाबत।
संदर्भ - आपकी टीप कमांक 53/आउशि/योजना नवीन विषय/2017, दिनांक 19.05.2017

राज्य शासन, एतद् द्वारा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्यावार स्नातक स्तर पर नवीन कक्षाएँ/विषयों को निम्नलिखित तालिका में दर्शित महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित कक्षाएँ/विषय प्रारंभ करने की अनुमति के साथ-साथ, स्तम्भ क्र. 4, 5, 6 में दर्शित पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

मांग संख्या -44

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय / कक्षा	स्वीकृत सहायक प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृत प्रयोगशाला पुस्तक की संख्या	स्वीकृत प्रयोगशाला परि की संख्या	स्वीकृत छात्र संख्या
01	02	03	04	05	06	07
1	शासकीय कि. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला रायगढ़	वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.)	03	00	00	40
2	शासकीय महाविद्यालय भखारा जिला धमतरी	बी.एस.सी. कम्प्यूटर साइंस	01	01	01	20
3	शासकीय गुरु घासीदास पी. जी. महाविद्यालय कुरुद	बी.एस.सी. आई.टी.	01	01	01	20
4	शासकीय महाविद्यालय दरमकला जिला रायगढ़	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	01	
5	शासकीय महाविद्यालय ललुगा जिला रायगढ़	बी.ए. इतिहास	01	00	00	30
6	शासकीय महाविद्यालय डांगरगाव	बी.ए. गृहविज्ञान	01	01	01	20
7	शासकीय महाविद्यालय वेरला	बी.ए. भूगोल	01	01	01	20
		बी.ए. गृहविज्ञान	01	01	01	20

C11(1237)A

रमा. छात्रा
प्रमति निलम्
29.8.017

Principal
Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bahur Kanker (G.G.)
Scanned by am Scanner

//2//

	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा	बी.एस.सी. कंप्यूटर साईंस	01	01	01	30
9	शासकीय महाविद्यालय सिमगा जिला बलौदाबाजार	बी.कॉम	03	00	00	40
10	शासकीय महाविद्यालय धरसीवा जिला रायपुर	बी.कॉम	03	00	00	40
11	शासकीय दौलतराम शर्मा महाविद्यालय कसडोल	बी.एस.सी. औद्योगिक रसायन	01	01	01	25
12	शासकीय महाविद्यालय पिपरिया जिला कबीरधाम	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	01	
13	शासकीय महाविद्यालय सक्ती जिला जाजगीर चापा	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	01	
14	शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार	समाजशास्त्र	01	00	00	50
		बी.ए. भूगोल	01	01	01	40
15	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी जिला धमतरी	बी.ए. भूगोल	01	01	01	30
16	शासकीय महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला विलासपुर	बी.ए. भूगोल	01	01	01	25

मांग संख्या -41

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय / कक्षा	स्वीकृत सहायक प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृत प्रयोगशाला तक. की संख्या	स्वीकृत प्रयोगशाला परि. की संख्या	स्वीकृत छात्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	शासकीय महाविद्यालय डोणडीलोहारा	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	01	
2	शासकीय महाविद्यालय चारामा जिला कांकेर	बी.कॉम	03	00	00	40
3	शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ जिला बीजापुर	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	01	
		बी.कॉम	03	00	00	40
		बी.ए. भूगोल	01	01	01	20
4	शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर जिला सूरजपुर	बी.ए. इतिहास	01	00	00	20
		अर्थशास्त्र	01	00	00	20

CI(L238)12

Principal

Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (G.F.)

Scanned by CamScanner

// 3 //

5	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या पी जी महाविद्यालय अभिकापुर	बी.कॉम	03	00	00	40
6	शासकीय कगला माझी महाविद्यालय डौणडी जिला बालोद	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	01	
		बी.ए. इतिहास	01	00	00	25

मांग संख्या -64

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय/ कक्षा	स्वीकृत सहायक प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृत प्रयोगशाला तक की संख्या	स्वीकृत प्रयोगशाला परि की संख्या	स्वीकृत छात्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	शासकीय नवीन महाविद्यालय पामगढ़	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	01	
2	शासकीय महाविद्यालय गण्डई जिला राजनादगांव	बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस)	01	01	01	25
3	शासकीय नहानाया महाविद्यालय रतनपुर जिला विलासपुर	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	01	

1. उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जबाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को "ई मेल" से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।

2. जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व-वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2017-18 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व-वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जायेगा।

3. स्वीकृति जारी होने में विलम्ब को देखते हुए आदेशित किया जाता है कि, संबंधित महाविद्यालय में उपरोक्त विषय/संकाय/पाठ्यक्रम को इसी सत्र 2017-18 से प्रारंभ किया जाए तथा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये दिनांक 06-09-2017 तक की तिथि निर्धारित की जाती है।

Kam
Principal

Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

4. प्रत्येक महाविद्यालय के नाम के समक्ष दिये गये विषय में कॉलम संख्या 7 में दी गई संख्या प्रवेश हेतु निर्धारित है।

रायपुर, दिनांक २२/०८/२०१७

प्रतिलिपि :-

- अवर सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Kant
Principal
Govt. Shaheed Gendsingh College Charaita
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

उत्तासगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 3-27 / 2019 / 38-1(पार्ट-2)

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29/08/2019

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंदारवती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 से प्रवेश मार्गदर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि बाबत।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	सीट वृद्धि संख्या
1	शास. घनश्याम सिंह गुप्त स्नातको महाविद्यालय बालोद	एम.एस.सी. वनस्पतिविज्ञान, प्रथम सेमेस्टर	20
		एम.एस.सी. गणित, प्रथम सेमेस्टर	15
		एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर	15
		एम.ए. अर्थशास्त्र, प्रथम सेमेस्टर	15
		एम.ए. राजनीतिविज्ञान, प्रथम सेमेस्टर	15
		एम.ए. समाजशास्त्र, प्रथम सेमेस्टर	15
		एम.ए. हिन्दी साहित्य, प्रथम सेमेस्टर	15
		बी.ए. भूगोल	40
2	शास. गेंदसिंह महाविद्यालय चरामा, जिला-कांकर।	बी.ए.	80
		बी.एस.सी.	80
		बी.कॉम	80
3	शास. नवीन महाविद्यालय बेरला, जिला-बैतारा।	बी.ए. भाग-1	260
		बी.कॉम	80
		बी.एस.सी. वायो	140
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	50



CI(L529)a

Principal

Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी -

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के खर्चों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि जारी दिनांक से प्रभावशील रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. समरेन्द्र सिंह)

राज्य संपर्क अधिकारी एवं पदेन उपसचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

पृ. क्रमांक एफ 3-27/2019/38-1(पार्ट-2) अटल नगर, रायपुर, दिनांक /08/2019
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 2. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर की
 3. संबंधित कलेक्टर जिला.....
 4. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 5. संबंधित जिला कोषालय छ0ग0.
 6. संबंधित प्राचार्य छ0ग0
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. आदेश फोल्डर।

(डॉ. समरेन्द्र सिंह)

राज्य संपर्क अधिकारी एवं पदेन उपसचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय .


Principal
Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)



बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
 (धरमपुरा) जिला - बस्तर (छ.ग.) भारत 494001
 (Dharampura) Distt.-Bastar (C.G.) India 494001
 Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bsvjdp.ac.in

क्रमांक / 247 / अका./ब.वि.वि./2020
 प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 03/01/2020

प्राचार्य,
 शासकीय शहीद गैदसिंह महाविद्यालय,
 चारामा (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालित पाठ्यक्रमों का वार्षिक संबद्धता शुल्क जमा करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय के अभिलेखों के अनुसार आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का संबद्धता शुल्क निम्नानुसार जमा किया जाना है :-

ऊक्षा/संकाय	विषय	स्वीकृत सीट संख्या	संबद्धता शुल्क 2019-20
B.A. I,II,III	सामान्य बोध, हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिविज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल		9000
B.Sc. I,II,III	आधार पाठ्यक्रम, रसायन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र		9000
B.Sc. I,II,III	गणित, भौतिकशास्त्र (2016-17)	60	20000
B.Com. I,II,III	सभी अनिवार्य विषय (2017-18)	40	30000
M.A.	राजनीतिविज्ञान	30	6000
	विस्तार शुल्क		8000
	कुल शुल्क		82000

अतः उक्त सूची में कोई त्रुटि हो तो या कोई और पाठ्यक्रम महाविद्यालय में संचालित हो तो जानकारी मय दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराते हुए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर वार्षिक संबद्धता शुल्क राशि रु. 82,000/- (ब्यासी हजार) जमा करने का कष्ट करेंगे।


 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

कुलसचिव

जगदलपुर, दिनांक 03/01/2020

पृ.क्रमांक / 248 / अका./ब.वि.वि./2020
 प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
02. माननीय कुलपति महोदय, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।


 सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, स्वामीजी भवन, नवा छवपुर, अटल नगर, जिला-छवपुर (छ.ग.0)

क्रमांक 164/45/आउशि/योजना/2021-22

अटल नगर, दिनांक 08/10/2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य
संबंधित शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय:- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3-88/2021/38-1 दिनांक 05.10.2021

-----00-----

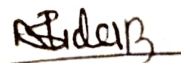
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों के निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है:-

क्र	महाविद्यालय का नाम	सीट वृद्धि हेतु प्रस्तावित विषय/संकाय का नाम	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात सीट संख्या
1	शास. शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय, चारामा	बी. एस.सी. (विज्ञान)	158	30	188
		एम.एस.सी. (वनस्पतिशास्त्र)	20	20	40
		बी.ए.	200	50	250
		एम.ए. (राजनीतिशास्त्र)	30	20	50
		बी.कॉम.	70	15	85
		एम.कॉम.	30	15	45
2	शास. महाविद्यालय, दुर्गाकोदल	बी. एस.सी. (बायो)	60	60	120
		बी.ए.	60	60	120
3	शास. लाल चकधर शाह महाविद्यालय अम्यागढ़ चौकी	बी.एस.सी.(बायो)	150	10	160

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जावेगी-

1. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ेगा।
3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव सत्र 2021-22 से प्रभावशील रहेगा।

संलग्न- संदर्भानुसार


सहायक संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय


Principal
Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी गवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
email : higher-education@cg.gov.in

क्रमांक एफ 3-88/2021/38-1
प्रति,

-- 0 --

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक / 10/2021

05 OCT 2021

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य में संचालित निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 में प्रवेश मार्ग-दर्शिका की कंडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	निर्धारित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट वृद्धि	वृद्धि पश्चात सीट संख्या
1.	शास. शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय, चारामा	बी.एस.सी. (विज्ञान)	158	30	188
		एम.एस.सी. (वनस्पति शास्त्र)	20	20	40
		बी.ए.	200	50	250
		एम.ए. (राजनीतिशास्त्र)	30	20	50
		बी.कॉम	70	15	85
		एम.कॉम	30	15	45
2	शास. महाविद्यालय, दुर्गकोंदल	बी.एस.सी. (बायो)	60	60	120
		बी.ए.	60	60	120
3	शास. लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी	बी.एस.सी. (बायो)	150	10	160

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सीट वृद्धि की जाएगी:-

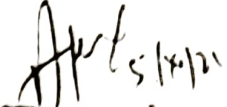
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
- फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ेगा।

क्रमशः....2


Principal
Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kaniker (C.G.)

//2//

3. भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
4. यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव सत्र 2021-22 से प्रभावशील रहेगा।


(ए.आर.खान)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3-88/2021/38-1

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

05/10/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 154/45/आउशि/योजना/2021-22, दिनांक 05.10.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-कांकेर/राजनांदगांव/बालोद(छ.ग.)
3. संबंधित प्राचार्य,
-
की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
4. आदेश फोल्डर ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग


Principal

Govt. Shaheed Gendsingh College Charama
Distt. Uttar Bastar Kanker (C.G.)

**छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी गवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर**

0

क्रमांक एफ 3 56/2022/38 1

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2022

प्रति

आयुक्त,

उच्च शिक्षा विभाग/मंत्रालय,

महानदी गवन

नवा रायपुर अटल नगर

रायपुर (छ.ग.)

174
16/9/22

विषय : प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 के लिये प्रवेश मार्गदर्शिका के कडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

गव्य शासन, पृथक् द्वारा राज्य में संचालित शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 में प्रवेश मार्गदर्शिका की कडिका 3.1 के अनुसार निर्धारित सीट संख्या में निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है -

1	2	3	प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित सीट संख्या	वृद्धि हेतु मान्य सीट संख्या	सीट वृद्धि उपरान्त निर्धारित कुल सीट संख्या
1	शासकीय स्नातकोत्तर विभाग महाविद्यालय, बाउली, जिला कदीरवाग	एम.ए. समाजशास्त्र	30	10	40
2	शासकीय स्नातकोत्तर गव्य शिक्षा महाविद्यालय, बाउली, जिला कदीरवाग	एम.ए.सी. प्राणीशास्त्र	40	10	50
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	45	20	65
3	शासकीय स्नातकोत्तर प्रशासन विभाग महाविद्यालय, बाउली, जिला रायपुर	एम.ए. प्रशासन	350	50	400
		एम.एस.सी. जीवविज्ञान	190	10	200
		एम.एस.सी. जीवविज्ञान	50	10	60
		एम.ए. अर्थशास्त्र	30	20	50
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	45	5	50
		पी.जी.डी.सी.ए. (स्वचिन्तीय)	70	10	80

उपरोक्त शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु सीट वृद्धि की अनुमति दी जावेगी -

- 1 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक आदि की व्यवस्था संस्था को स्वयं करनी होगी।
- 2 फर्नीचर तथा उपकरण कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था संस्था को अपने स्वयं के स्रोतों से करना होगा।
- 3 भविष्य में किसी भी प्रकार का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।
- 4 प्राचार्य द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या अनुसार व्यवस्था प्राप्त किया जावेगा।
- 5 यह सीट वृद्धि का प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रभावशील रहेगा।


(आर.ए. निर्मलकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग :

दृष्टमात्र सं. 3-56/2022/38-1

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक /09/2022

प्रतिलिपि -

- 1 आयुक्त उच्च शिक्षा सचालनालय की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2 कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.)
- 3 संबंधित प्राचार्य,
की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 4 आदर्श फाइल में।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग